भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2108

(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' में परिवर्तन

2108. श्री के. सी. त्यागीः

श्री प्रमोद तिवारीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न हलकों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 को संशोधित करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस अधिनियम के दायरे में और अधिक कार्य/क्रियाकलाप अर्थात् डेरीफार्मिंग, ग्रामीण आवास, खाद्यान्न गोदाम इत्यादि को भी शामिल किए जाने की संभावना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा 'मनरेगा' के अंतर्गत वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए उठाये गये/उठाये जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) : जी, हां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची में और कार्य शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों से कई सुझाव मिले हैं। इनकी जांच की गई है और जनवरी, 2014 में अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची का विस्तार किया गया है।

(ख) : सभी उक्त कार्य अनुमेय कार्यों की सूची में पहले से ही शामिल हैं।

(ग) : महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रदायगी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:-

- लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित होंगे।

- ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के मजदूरी-सामग्री अनुपात की गणना जिला-स्तर पर की जाएगी ताकि अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।

- प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले तथा उसके समापन के बाद भी उससे जुड़े परिणामों का आकलन किया जाएगा – जिससे परिणामों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।

- बेहतर आयोजना और निरंतर तकनीकी पर्यवेक्षण के माध्यम से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की अनुसूची-II के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान लागू करें।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी की गई योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षाओं में सुधार करें।

- नकली उपस्थिति, मस्टररोल से छेड़छाड़ और उनके दुरूपयोग के मामलों की रोकथाम के उद्देश्य से ई-मस्टर प्रणाली शुरू की गई है।

- निधियों के निरंतर प्रवाह के लिए इलैक्ट्रानिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) शुरू की गई है, जिससे मजदूरी के भुगतान में विलंब के मामलों में भी कमी आएगी।

- सभी राज्यों से कहा गया है कि वे शिकायतों के निपटान के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करें।

- राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां योजना के कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित की जा रही हैं।

*****